



## छत्तीसगढ़ विधान सभा

### पंचम विधान सभा - सप्तदश सत्र

(दिनांक 18 जुलाई, 2023 से 21 जुलाई 2023 तक)

### सत्रावधि में संपादित कार्यों की सांख्यिकीय जानकारी

सत्र की अवधि	04 दिन
बैठकों की संख्या	04
प्रश्नों पर चर्चा	2 घंटे 58 मिनट
प्रथम अनुपूरक	3 घंटे 41 मिनट
बैठकों में लगा कुल समय	26 घंटे 06 मिनट

### प्रश्न

सूचनाएं प्राप्त	550
तारांकित प्रश्न	274
अतारांकित प्रश्न	276
ग्राह्य तारांकित	252
ग्राह्य अतारांकित	259
कुल ग्राह्य तारांकित एवं अतारांकित	511
सदन में उत्तरित	27

### शासकीय विधेयक

सूचनाएं प्राप्त	04
सदन में पारित	04 (विनियोग सहित )

### विशेषाधिकार भंग की सूचना

प्राप्त सूचनाएं	01
ग्राह्य	निरंक
अग्राह्य	निरंक
विचाराधीन सूचनाएं	01

### स्थगन प्रस्ताव

कुल प्राप्त सूचनाएं	42 (छः विषय)
अग्राह्य	42

### ध्यानाकर्षण सूचनाएं

कुल प्राप्त सूचनाएं	140
अग्राह्य	99
ग्राह्य	40
शून्यकाल में परिवर्तित	01

### नियम 267-क के अंतर्गत विषय

कुल सूचनाएं	25
ध्यानाकर्षण से परिवर्तित	01
ग्राह्य	09
अग्राह्य	15

### अशासकीय संकल्प

प्राप्त सूचनाएं	02
ग्राह्य	00
अग्राह्य	02

### याचिकाएं

प्राप्त सूचनाएं	43
ग्राह्य	13
अग्राह्य	24

सदन में प्रस्तुत	12
व्यपगत	00
विचाराधीन	06

### अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

प्राप्त अधिसूचना	06
पटल पर रखे गये	06

### वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन विचार तथा पारण

### राज्य के विभिन्न निगम/मंडल/आयोगों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

प्राप्त प्रतिवेदन	12
पटल पर रखे गये	12

### विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

1. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	06
2. गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयक संबंधी समिति	01
3. लोक लेखा समिति	12
4. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति	03
5. स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति	01
6. शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति	09
7. याचिका समिति	01

### राज्य के बजट से संबंधित जानकारियों का पटल पर रखा जाना

- (1) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2022-2023 के बजट की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

- (2) भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2023 का प्रतिवेदन क्रमांक-1,
- (3) भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-02,
- (4) भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का अवैध खनन गतिविधियों पर बल देते हुए गौण खनिजों के खनन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-03,

<b>पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा</b>	दिनांक 18 जुलाई से 21 जुलाई, 2023 तक सत्र के दौरान माननीय सदस्यों के द्वारा पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में पुस्तकालय संदर्भ साहित्य का अवलोकन / अध्ययन किया गया ।
<b>छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट</b>	छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट में दिनांक 18 जुलाई से 21 जुलाई, 2023 तक सत्रावधि के दौरान वेबसाईट पर सत्र संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई। ई-विधान पोर्टल पर वर्तमान सत्र में भी सभा में प्रस्तुत होने वाले साहित्य को प्रतिदिन उपलब्ध कराया गया । छत्तीसगढ़ विधानसभा हेतु तैयार किए गए मोबाईल एप में भी संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी गयी ।
<b>छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रवेश</b>	प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा अध्यक्षीय दीर्घा के 600, प्रतिष्ठित दीर्घा के 1200 एवं दर्शक दीर्घा के 2000 प्रवेश पत्र जारी किये गये ।
<b>छत्तीसगढ़ विधान सभा का भ्रमण/कार्यवाही का अवलोकन</b>	छत्तीसगढ़ के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के 146 छात्र-छात्राओं/शिक्षकों ने कार्यवाही का अवलोकन/परिसर का भ्रमण किया।